न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 149/2017

1. प्रभुदयाल बलाई पुत्र श्री लादू राम बलाई आयु 72 साल, निवासी ग्राम लाडीपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।

.... ..निगरानीकर्ता

बनाम

1. सीताराम पुत्र स्व. श्री भूरा राम बलाई जाति बलाई आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम लाडीपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. श्रीमति मंजू देवी पत्नी श्री नवनी शंकर, सहायक सचिव ग्राम पंचायत जयचंदपुरा, पंचायत समिति जमवारामगढ जिला जयपुर निवासी ग्राम लाडीपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।
3. नवनी शंकर बुनकर पुत्र श्री रामसहाय आयु 47 साल, ग्राम लाडीपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।
4. ग्राम पंचायत जयचंदपुरा, पंचायत कार्यालय ग्राम जयचंदपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर जरिये सरपंच।

.....विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत निरस्त किये जाने आदेश दिनांक 07.10.2014 कम संख्या 42 पट्टा संख्या 24, ग्राम पंचायत जयचंदपुरा, पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर।

उपस्थितः–

1. श्री प्रमोद कुमार शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री प्रकाश चन्द भारती अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या–एक लगायत तीन की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 13.06.2018

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत जयचंदपुरा पंचायत समिति, जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 07.10.2014 जिसके द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 मंजू देवी पत्नी श्री नवनी शंकर निवासी ग्राम लाडीपुरा, तहसील जमवारामगढ के पक्ष में पट्टा संख्या 24 कुल क्षेत्रफल 300 वर्गगज जारी करने के आदेश दिये गये, से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या– एक लगायत तीन की ओर से श्री प्रकाश चन्द भारती, अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या–चार की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। ग्राम पंचायत जयचंदपुरा द्वारा पत्रांक 170/17–18 दिनांक 08.11.2017 द्वारा मूल पट्टा प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत जयचंदपुरा द्वारा दिनांक 07.10.2014 को अप्रार्थी संख्या 2 के हक में पट्टा संख्या 24 जारी किया गया था, यह पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्व एवं पत्रावली व तथ्यों के

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत जयचंदपुरा ने निगरानीधीन निर्णय पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को कोई सूचना नहीं दी तथा स्थानीय वार्ड पंच से मौका रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई तथा अपनी मनमर्जी से निर्णय पारित कर दिया। ग्राम पंचायत जयचंदपुरा द्वारा ग्राम लाडीपुरा के आम रास्ते की भूमि का उक्त पट्टा जारी किया है जिस पर अप्रार्थीगण ने अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा कर रखा है। निगरानीधीन भूमि आम रास्ते की भूमि है एवं भूमि पर सरकारी हैंडपंप भी बना हुआ था जिसे गैर निगरानीकारान द्वारा उखाड दिया गया है। निगरानीधीन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 300 वर्गगज है जबकि ग्राम पंचायत को 300 वर्गगज भूमि का पट्टा देने का अधिकारी ही नहीं है। गैर निगरानीकार संख्या 2 स्वयं ग्राम पंचायत जयचंदपुरा पं0स0 जमवारामगढ में सहायक सचिव के पद पर सेवारत है इसलिए गैर निगरानीकार संख्याा 2 ने अपने पद का लाभ उठाते हुए पट्टा संख्या 24 नियमों के विरूद्व जाकर जारी करवा लिया। ग्राम पंचायत जयचंदपुरा के निर्णय दिनांक 07.10.2014 द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी किया है उस दिन ग्राम पंचायत की मीटिंग नहीं थी एवं पंचायत की कोरम भी अपूर्ण थी। इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने अपनी मनमर्जी से व अवैधानिक तरीक से पट्टा जारी किया है। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने अपने पास फर्जी व कूटरचित पट्टे की आड में आम रास्ते की भूमि को अतिक्रमण कर रखा है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत जयचंदपुरा के आदेश दिनांक 07.10.2014 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी पट्टा संख्या 24निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या–1 लगायत तीन की दलील है कि ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी के पक्ष में निर्णय पारित कर जो पट्टा जारी किया है वह विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा पेश की गयी निगरानी अन्दर मियाद नहीं है। प्रार्थी का ही विवादित भूमि पर कब्जा है। ग्राम पंचायत जयचंदपुरा द्वारा विधि अनुसार पूरी प्रकिया अपनाकर ही पट्टा जारी किया है, पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर है। निगरानीकर्ता द्वारा झूठे तथ्यों को पेश कर निगरानी पेश की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे के आवेदन के पश्चात मौका रिपोर्ट मंगवाई गई एवं आपत्ति नोटिस जारी किया गया एवं नियमानुसार नजराना राशि जमा कर पट्टा जारी किया गया है। गैर निगरानीकारान द्वारा रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, रास्ते पर हैडपंप मौजूद है। ग्राम पंचायत को महिला के नाम 300 वर्गगज पट्टा देने का अधिकार है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 4 ग्राम पंचायत जयचंपुरा द्वारा विधिवत व नियमानुसार जो प्रारूप पंचायत द्वारा स्वीकृत कर रखा है उसी अनुसार पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जावे।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा से प्राप्त मूल पट्टा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। वकील निगरानीकर्ता की मुख्य दलील की पंचायत ने निगरानीधीन आदेश

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को न ही कोई नोटिस दिया एवं न ही कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया। विवादित भूमि पर हक व कब्जे को लेकर विवाद होने की स्थिति में ग्राम पंचायत जयचंदपुरा को निगरानीधीन आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर, साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना जाहिर नहीं होता है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। वकील निगरानीकर्ता का कथन है कि गैर निगरानीकारान ने निगरानीधीन भूमि से अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अप्रार्थी संख्या एक लगायत तीन ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुन नहीं किए जिससे यह स्पष्ट हो कि अप्रार्थी संख्या एक लगायत तीन का विवादित भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा/अतिक्रमण नहीं है। जहां तक ग्राम पंचायत जयचंदपुरा द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने से पूर्व पंचायत नियमों की पालना किये जाने का प्रश्न है, ग्राम पंचायत द्वारा भी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना जाहिर नहीं होता है।

फलस्वरूप निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत जयचंदपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2014 द्वारा मंजू देवी बुनकर पत्नी नवनी शंकर निवासी ग्राम लाडीपुरा ग्राम, तहसील जमवारामगढ के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल पट्टा पत्रावली लौटायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट प्रथम
जयपुर

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट प्रथम
जयपुर

Scanned by CamScanner